भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
11.05.2016 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या : 251

न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव

*251. **श्री दुष्यंत चौटाला :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **वैश्विक स्तर पर भारत के परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की सुरक्षा रैंकिंग कितनी है;**

(ख) **क्या वाशिंगटन स्थित एक गैर-सरकारी समूह 'द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव' ने भारत की परमाणु सुरक्षा पद्धतियों को 25 देशों के बीच 23वीं रैंक प्रदान की है;**

(ग) **यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;**

(घ) **क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा केन्द्रों और परमाणु सामग्री की सुरक्षा संबंधी अध्ययन हेतु किसी दल का गठन किया है; और**

(ङ) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में परमाणु केन्द्रों और सामग्री की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (ङ) तक **एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।**

****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव" के बारे में दिनांक 11.05.2016 को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) सरकार, नाभिकीय बिजलीघरों की ऐसी किसी वैश्विक संरक्षा रैंकिग से अवगत नहीं है।

(ख) तथा (ग) वर्ष 2016 में 'न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव' द्वारा एक और तालिका को सामने लाया गया जिसके अनुसार उनका दावा है कि, उन्होंने ऐसे 24 देशों के, सुधारित नाभिकीय सामग्री संरक्षा में योगदान का मूल्यांकन किया है, जिनके पास हथियारों में इस्तेमाल करने योग्य एक किलोग्राम या उससे अधिक नाभिकीय सामग्री है। भारत को इस तालिका में 21वें स्थान पर रखा गया है। भारत सरकार, एक गैर-सरकारी संस्थान न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (एनटीआई) द्वारा अपनाई गई पद्धति से सहमत नहीं है।

(घ) फुकुशिमा घटना के बाद, प्राकृतिक आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में नाभिकीय बिजलीघरों की संरक्षा की समीक्षा, तीन भारतीय संगठनों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, पर्याप्त संरक्षी उपाय क्रियान्वित कर दिए गए हैं।

जहां तक नाभिकीय सामग्री का संबंध है, दुर्भावपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय या रेडियोसक्रिय सामग्री हासिल करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक समन्वित बहु-एजेंसी अप्रोच तैयार करने के लिए भारत ने, राष्ट्रीय स्तर पर 'काउन्टर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम' नामक एक संगठनात्मक तंत्र स्थापित किया है। इस टीम में, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं और इनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। यह टीम, दुर्भावपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय तथा रेडियोसक्रिय सामग्री के इस्तेमाल से होने वाले खतरों का प्रभावी तथा समन्वित तरीके से सामना करने के लिए टेबल टॉप अभ्यास भी आयोजित करती है।

(ङ) नाभिकीय बिजलीघरों की संरक्षा के लिए, डिज़ायन चरण से ही, संरक्षा की दृष्टि से बरते जाने वाले ऐहतियातों की कड़ाई से समीक्षा की जाती है और उनका मूल्यांकन करके संरक्षी उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं। इनके अलावा, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, नाभिकीय विद्युत संयंत्रो के लाइसेंस का आवधिक रूप से पुनर्नवीकरण करते समय, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से संबद्ध संरक्षा-विशेषताओं के क्रियान्वयन की तथा प्रचालनात्मक संरक्षा का मूल्यांकन करती है। नाभिकीय सामग्री की सुरक्षा के मामले में, भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की 'कन्वेशन ऑन फिज़िकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मैटीरियल' (सीपीपीएनएम) का, उसके 2005 के संशोधन का तथा 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेरेरिज़म' (आईसीएसएएनटी) का पक्षधर है। भारत, नाभिकीय सामग्रियों तथा सुविधाओं के लिए वास्तविक सुरक्षा उपायों के राष्ट्रीय क्रियान्वयन के समय, अंतर्राष्ट्रीय

परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के नाभिकीय सुरक्षा श्रृंखला दस्तावेजों में दिए गए मार्गदर्शन को भी ध्यान में रखता है। इसके अतिरिक्त, भारत की परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने, नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए (i) नाभिकीय सामग्रियों और नाभिकीय सुविधाओं तथा (ii) विकिरण स्त्रोतों और विकिरण सुविधाओं एवं इन सामग्रियों के परिवहन के दौरान नियमन के लिए कई मार्गदर्शी दस्तावेज तैयार किए हैं। भारत की निर्यात नियंत्रण सूची तथा मार्गदर्शी सिद्धांत, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से संगत हैं। भारत, यूएनएससी काउन्सिल रेसोल्यूशन 1540 के कार्यान्वयन का पूरी तरह से समर्थन करता है, जोकि बड़े पैमाने पर तबाही कर सकने वाले हथियार आतंकवादियों के हाथ न लगने देने के उपायों से संबंधित है।

संगठनात्मक तरीके से, भारत में नाभिकीय तथा विकिरण सामग्री की सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की पैनी नज़र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जो इस उद्देश्य के लिए उच्च प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ मानवशक्ति को बड़ी संख्या में तैनात करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने नाभिकीय सुरक्षा शिखर वार्ता प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दिया है, तथा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 'नाभिकीय सुरक्षा निधि' में और एक मिलियन US$ का योगदान देने का संकल्प लिया है। भारत ने, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास के लिए, 'नाभिकीय ऊर्जा सहभागिता हेतु वैश्विक केन्द्र' (जीसीएनईपी) भी स्थापित किया है।

******